शैक्षिक कर्ज़

अठारहवां फ़िक्ही सेमिनार (मदुराई) दिनांक 2-4 रबीउल अव्वल 1430 हिजरी, 28 फरवरी - 2 मार्च 2009 ई॰ को आयोजित हुआ।

शिक्षा मनुष्य की मौलिक ज़रूरत है और हर लाभदायक ज्ञान के लिए इस्लाम ने प्रोत्साहित किया है। इस ज़रूरत की पूर्ति के लिए मनुष्य, समाज और सरकार तीनों को अपनी भूमिका निभानी ज़रूरी है इस पृष्ठ भूमि में यह सेमिनार सरकार से मांग करता है। कि -

हमारे देश में शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि देश के ग़रीब लोगों विशेष कर मुसलमानों की बहुसंख्या के लिए आर्थिक पिछड़े पन के कारण उच्च शिक्षा हासिल करना बडा कठिन हो गया है, यह देश विभिन्न धर्मों, भाषाओं और सभ्यताओं का गुलदस्ता है, इसमें किसी एक वर्ग का पिछड जाना निश्चय ही राष्ट्रीय विकास के लिए हानिकारक है, इसलिए सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह मुसलमानों के शैक्षिक पिछड़े पन को दूर करने में अपनी प्रभावी भूमिका निभाए, उच्च शिक्षा की प्राप्ती के लिए मुसलमानों को बिना सूदी क़र्ज़ उपलब्ध करे और शिक्षा प्राप्ती करने के लिए मुसलमान बच्चों को उचित स्कालरशिप उपलब्ध करे और इस की प्राप्ती की शर्तों को सरल बनाए।

यह अधिकवेशन मुसलमानों का ध्यान आकर्षित कराता है किः

.1 उनके लिए अनिवार्य है कि वे अपने बच्चों की शिक्षा को सर्वप्रथम वरीयता दें, और अपनी आय का अच्छा भला हिस्सा उनकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर खर्च करें।

.2 मुसलमानों को चाहिए कि अपनी नयी नस्ल की शैक्षिक ज़रूरतों को समक्ष रखते हुए राष्ट्रीय, राज्य क्षेत्रीय स्तर पर सूचना एवं संचार संस्थान, समितियां और केन्द्र स्थापित करें जो देश विदेश में उच्च शिक्षा के अवसर और सरकार शैक्षिक सहकारी स्कीमों से नयी नस्ल को अवगत कराएं।

.3 विभिन्न विषयों और कोर्सों के लिए स्कालरशिप उपलब्ध कराने वाले संस्थानों, संगठनों के बीच सम्पर्क और सहयोग व सूचना आदान प्रदान की व्यवस्था स्थापित हो ताकि छात्रें को स्कालरशिप की प्राप्ती में मदद की जा सके।

.4 राज्य और क्षेत्रेय स्तर पर ऐसे शैक्षिक फंड स्थापित करें जिससे योग्य और ज़रूरतमन्द बच्चों की उच्च शिक्षा की प्राप्ती में मदद की जा सके।

.5 आधुनिक शिक्षा के विद्वानों विशेष कर रिटायर्ड और प्रोफ़ेशनल व्यक्तियों को चाहिए कि वे अपनी मालूमात और अनुभवों से नई नस्ल की भरपूर मदद करें और प्रभावी मार्ग दर्शन का कर्तव्य पूरा करें।

.6 उलमा और धनी लोगों को चाहिए कि वे इन लोगों की सेवाओं से लाभ उठाने की भरपूर कोशिश करें।

.7 मुसलमानों के आधुनिक शैक्षिक संस्थान खर्चों में ऐसी सुविधांए और आसानियां उपलब्ध करे कि हक़दार और योग्य छात्र उनसे आसानी के साथ लाभ उठा सकें, मुख्यरूप से डोनेशन के भारी और ग़ैर शरई बोझ से मुसलमान छात्रों एवं छात्रओं को आज़ाद करें कि यह न केवल ग़ैर इस्लामी बल्कि अमानवी कार्य भी है।

यह अधिवेशन मुसलमान छात्र एवं छात्रओं को समझाता है किः

.1 ज्ञान मोमिन की वस्तु है अतः मुसलमानों को चाहिए कि प्रोफेशनल ज्ञानों को मानव सेवा की भावना से प्राप्त करें।

.2 मुसलमान छात्र एवं छात्रओं का कर्तव्य है कि वे अपनी दीनी पहचान के साथ मेहनत और शैक्षिक प्रतिस्पर्द्धा को अपना मिशन बनाएं।

.3 अपने शैक्षिक खर्चों की पूर्ति के लिए ज़रूरत के अनुसार स्कालरशिप और बिना सूदी क़र्ज़ हासिल करने और अपनी शिक्षा को पूर्ण करने की हर संभव कोशिश करें।

.4 जिस प्रकार ब्याज का लेना हराम है उसी प्रकार शरीअत ने सूदी क़र्ज़ लेने और सूद देने को भी हराम ठहराया है, इसलिए मौलिक रूप से शिक्षा के लिए सूदी क़र्ज़ प्राप्त करना वैद्य नहीं, अलबत्ता यदि किसी के पास आर्थिक गुंजाइश न हो, बिना सूदी क़र्ज़ न मिल पाए और उसके ऐच्छिक शिक्षा से वंचित रह जाने का खतरा हो तो ऐसे छात्रों को चाहिए कि किसी विश्वसनीय मुफ्ती के सामने अपने हालात रखकर उनके मशवरे पर अमल करें।

☆☆☆